

न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर
पीठासीन अधिकारी-कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या-01/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पूरणमल पुत्र लादूराम जाति गुर्जर निवासी जसवन्तगढ जिला नागौर		1. भारत संघ जरिये सचिव भारतीय राजमार्ग पोत परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली। 2. सक्षम प्राधकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ । 3. परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्लॉट नम्बर 156 गिरधर कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर।

उपस्थित-

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री देवेन्द्रराज कल्ला।
2. अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
3. अप्रार्थी संख्या-1 व 3 की ओर से श्री नूर अहमद

आदेश

दिनांक: 6/9/2018

1- प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरेखण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3 जी के तहत पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)ड, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2-वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि-

2(1)- प्रार्थी की मौजा जसवन्तगढ तहसील लाडनूँ में खसरा नम्बर 783 रहती चली आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 के कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सेक्शन) तक के निर्माण में आने वाली भूमि का नोटिफिकेशन 263 फरवरी 2016 के द्वारा अवाप्त करने हेतु अपनी आपत्तियां भूमि अवाप्ति अधिकारी, लाडनूँ के समक्ष करे। जिस पर प्रार्थी ने आपत्तियां दर्ज कराई मगर उन्हे न मान कर दिनांक 26.09.2016 को अवार्ड संख्या-60 बाबत रुपये 33,733/-कर दिये जो बहुत ही कम एवं अस्पष्ट है।

2(2)- मौजा जसवन्तगढ तहसील लाडनूँ की भूमि खसरा नम्बर 783 बारानी प्रथम किस्म की भूमि है। लेकिन रेवेन्यू नियमों के अनुसार 1000 वर्गमीटर तक आवासीय भूमि माना जायेगा। इसके अलावा यह भूमि बहुत ही उपजाऊ व उच्च किस्म की भूमि है, जिसका बाजार भाव अवाप्ति के वक्त 25,00,000/-रुपये प्रति बीघा से कम भाव की भूमि नहीं है। अवाप्ति अधिकारी महोदय ने मुआवजा बाजार दर से ना करके पुरानी डी.एल.सी. दर को ही बाजार मूल्य मानकर मुआवजा तय कर दिया है। डी.एल.सी. दर बहुत पहले की है उसके बाद भूमियों



की कीमतें अप्रत्यासित रूप से बढ़ी हैं एवं दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं, जो डी.एल.सी. दर से बहुत ज्यादा है। इसलिए इसमें भारी अन्तर है। इस भूमि की बाजार कीमत 25,00,000/-रुपये प्रति बीघा मानकर मुआवजा निर्धारित करना चाहिए था, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 ने प्रति हेक्टर की कीमत का आंकलन सही नहीं करके मनमर्जी से कम आंकलन कर अवार्ड पारित किया है।

2(3)- बाजार कीमत जो उपर प्रार्थी ने बताई है उस पर 4 गुणा निर्धारित करना चाहिए। नया भूमि अवाप्ति कानून का पहले आर्डिनेन्स हो गया था तथा वही बाद में कानून बन गया, जो उसी के प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा तय होना चाहिए था।

2(4)- भूमि अवाप्ति अधिकारी का मुआवजा तय करने का आधार ही गलत है, सो यही माना जायेगा की उन्होने तथ्यों व कानून पर गौर नहीं किया है। उन्होने बाराणी व सिंचित दो ही किस्में भूमि की मानी है। जबकि बाराणी की भूमि की नागौर जिले में 5 किस्में हैं, सो सबका मुआवजा एक नहीं हो सकता। उनका लगान अलग-अलग है तथा सिलिंग कानून में भी अलग-अलग लिमिट अवाप्ति व सिलिंग सीमा निर्धारण में अलग-अलग है, सो पूरा मुआवजा गलत आधारों पर है।

2(5)-अवार्ड में कॉलम संख्या-61 में खसरा नम्बर 1095/782 की भूमि का अवार्ड 24,65,924/-रुपये किया गया, जबकि प्रार्थी की भूमि उक्त भूमि के चिपती ही है और प्रार्थी की भूमि के आस पास आबादी बसी हुई है। आस पास रहवासी कॉलोनियां बसी हुई है। प्रार्थी की भूमि का मूल्यांकन भी आसपास की आबादी व कॉलोनियों के अनुसार आबादी भूमि के रूप में मानकर अवार्ड पारित किया जाना चाहिए। प्रार्थी की भूमि के सामने ही रोड़ के चिपता ही खसरा नम्बर 778 है, जिसका अवार्ड 2,00,763/-रुपये किया गया है। इसलिए प्रार्थी की भूमि का मुआवजा भी आबादी भूमि के हिसाब से ही तय होना चाहिए अर्थात प्रार्थी के खसरा नम्बर 783 के चिपता ही खसरा 1095/782 रकबा 0.07000 हैक्टर है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 783 का रकबा 0.0620 हैक्टर है। इस प्रकार पड़ोसी खसरान की भूमि के अवार्ड एवं प्रार्थी की भूमि के अवार्ड में भेदभाव कर अन्तर किया गया है एवं प्रार्थी उपरोक्तानुसार बढ़ा हुआ मुआवजा मय ब्याज का अधिकारी होने का कथन करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को उपर बताये गये तथ्यों अनुसार संशोधित करने का निवेदन किया है।

3-वकील अप्रार्थीगण श्री नूरअहमद ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुवे अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि-

3(1)-प्रकरण में ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 783 में से 0.0620 हैक्टर बाराणी 1 अवाप्ताधीन है तथा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लाडनू, जिला नागौर द्वारा अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को पारित किया जा चुका है।

3(2)-प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की उपधारा-(3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 18.02.2015 को अधिसूचना जारी की गई जिसका स्थानीय समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका व द टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.05.2015 को प्रकाशित करवाया जाकर हितबद्ध पक्षकार व्यक्ति को अधिसूचना जारी करने की दिनांक से 21 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया एवं उक्त अवधि में प्राप्त कोई आपत्ति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समाधान किया गया। तत्पश्चात अधिनियम 1956 की धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 02.02.2016 को जारी की गई उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर तथा द टाइम्स ऑफ इण्डिया में 11.03.2016 को किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित भी नहीं किया है कि उनके द्वारा किस दिनांक को आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा उन आपत्तियों को अनदेखा किया गया हो, बल्कि इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो मुआवजा मूल्यांकन हेतु जो आधार निर्धारित किये गये हैं, उनके अनुरूप ही

कलक्टर, नागौर



मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(3)—हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 783 ग्राम जसवन्तगढ़ में से 0.0620 हैक्टेयर निजी भूमि किस्म बरानी-1 अवाप्ताधीन भूमि का निर्धारित डी.एल.सी. दर व भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के मुताबिक मुआवजा राशि का आंकलन किया गया व उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी की किस्म बरानी 1 की कुल मुआवजा राशि 33733/-रूपये निर्धारित की गई है। उक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्ताधीन भूमि की डी.एल.सी.दर 204480 रूपये प्रति हैक्टेयर अंकित की गई है।

3(4)—सक्षम अधिकारी द्वारा विधि के सिद्धान्तों के अनुरूप, सभी पक्षकारों की सुनवाई करने के उपरान्त व सर्वे के आधार पर व राजस्व रिकार्ड व सरंचनाओं के मूल्यांकन हेतु राज्य सरकार/लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप अवार्ड पारित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा मुआवजे की राशि का निर्धारण करते समय भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि की डी.एल.सी. दर व उस भूमि के निकट ग्राम/शहर के गत तीन वर्ष के विक्रय लेखपत्र व इकरारनामें की औसत में से अधिक दर से मार्केट वेल्थ ऑफ लेण्ड का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा तत्समय राज्य सरकार द्वारा जारी भूमि की प्रकृति के अनुसार जारी डी.एल.सी. रेट के अनुसार प्रार्थी को उक्त भूमि का मुआवजा दिया गया है। डी.एल.सी. रेट का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अतः मुआवजा निर्धारण उचित रूप से तथा रिकार्ड के आधार पर किया गया है, के कथन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4— राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने स्वयं की बहस में कथन किया की हस्तगत प्रकरण में ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 783 में से प्रार्थी की 0.0620 रकबा भूमि अवाप्त की गई है। उक्त भूमि असिंचित, सड़क से दूर, बरानी प्रथम की है, जिसकी डी.एल.सी. दर 204480/-रूपये प्रति हैक्टेयर है। बाजार दर एवं डी.एल.सी दर एक ही होने से डी.एल.सी दर से अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में गणना की गई। प्रार्थी की भूमि किस्म आवासीय नहीं होकर भूमि की किस्म बरानी 1 है, तदनुसार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रार्थी के प्रकरण में अवार्ड पारित किया गया है, जो उचित है। प्रार्थी के प्रकरण में नियमानुसार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक-एनएच-11011/30/2015-एलए दिनांक 08.08.2016 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्रांक-87253 दिनांक 22.8.2016 एवं राजस्व (गुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक-प1(3)राज.6/2011/पार्ट/26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार हस्तगत प्रकरण में ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु हस्तगत प्रकरण में बाजार मूल्य को निर्धारित गुणक 1.25 से गुणित किया गया है एवं शत प्रतिशत सोलेसियम राशि का भी अवार्ड में निर्धारण किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अन्य खसरान की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अधिक दिये जाने व प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में मुआवजा राशि कम दिये जाने का कथन किये है, उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा वर्णित खसरा नम्बर 1095/782 की भूमि की किस्म गै.मु. आवासीय राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अवार्ड का निर्धारण आवासीय डी.एल.सी. दरों के अनुसार किया गया है, जबकि प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बरानी-1 होने से इस हेतु निर्धारित दर से प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा का निर्धारण किया गया है। खसरा नम्बर 783 व 778 के मुआवजे का आंकलन समान डी.एल.सी. दर 204480/- से किया गया है। इसलिए प्रार्थी के प्रकरण में निर्धारित मुआवजा युक्तियुक्त एवं विधि अनुरूप होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर



5-वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार-

5(1)- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 कि.मी. 72.600 से कि.मी. 112.760 तक के भूखण्ड (सालासर से नागौर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने, पुनः संरेखण/बाईपास और चार लेन का बनाने, आदि) के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित करते हुए संशोधित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को जारी किया गया है। इस अवार्ड के तहत प्रार्थी के प्रकरण में ग्राम जसवन्तगढ़ के खसरा नम्बर 783 में से 0.0620 हैक्टर भूमि बाराणी-1 किस्म का अधिग्रहण किया गया, जिसका कुल मुआवजा 33733/-रूपये का निर्धारित किया गया है।

5(2)- अवार्ड दिनांक 26.09.2016 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 18.02.2015 का दो समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 26.05.2015 को प्रकाशन कर आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, जिसके संबंध में प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर अनुज्ञात कर दिया। तदुपरान्त केन्द्रीय सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3डी की दिनांक 02.02.2016 को अधिसूचना जारी की जिसका दो समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दी टाइम्स ऑफ इण्डिया में दिनांक 11.03.2016 को प्रकाशन करवाया गया एवं एक विज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ के कार्यालय के क्रमांक-राजस्व /16/67 दिनांक 03.03.2016 को जारी कर अवाप्ताधीन भूमि के हितधारकों की दावा/आपत्तियां 21 दिन के अन्तर्गत आमंत्रित की गई एवं इस संबंध में प्राप्त आपत्तियां एवं दावे का निस्तारण कर दिया गया। मगर तत्समय प्रार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण करने से पूर्व उन्हें सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिये जाने का कथन ठोस आधार पर नहीं है।

5(3)- हस्तगत प्रकरण में खसरा नं 783 बाराणी प्रथम किस्म की भूमि जिसका बाजार भाव अवाप्ति के वक्त 25,00,000/- प्रति बीघा के कम भाव की नहीं है, को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में वकील प्रार्थी के कथन से ही स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी द्वारा बताई गई दर, एक निश्चित दर नहीं होकर दर का कयास मात्र है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थी ने उक्त दर का कोई ठोस तकनिकी एवं विधिक आधार भी अपनी बहस एवं प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रकट नहीं किया है। जबकि हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उप पंजीयक द्वारा अवाप्त की जा रही भूमि के ग्राम की डी.एल.सी. दर व उस ग्राम के गत तीन वर्षों के विक्रय लेखपत्र व इकरारनामों की औसत, में से अधिक दर से मार्केट वेल्यू जो कि धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक 26.05.2015 को प्रभावी होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 26ए तथा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अनुसार डी.एल.सी. दर को आधार मानकर अवाप्तशुदा भूमि की प्रचलित बाजार दर से मुआवजे का निर्धारण किया गया है। उक्तानुसार निर्धारित दर किस प्रकार गलत है, इसके सम्बन्ध में भी वकील प्रार्थी द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5(4)-प्रकरण में राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा द्वारा कथन किया गया है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अन्य खसरान की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अधिक दिये जाने व प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में मुआवजा राशि कम दिये जाने का कथन किये है, उक्त संबंध में प्रार्थी द्वारा वर्णित खसरा नम्बर 1095/782 की भूमि की किस्म गै.मु. आवासीय राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अवार्ड का निर्धारण आवासीय डी.एल.सी. दरों के अनुसार किया गया है, जबकि

कलक्टर, नागौर



प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि की किस्म बारानी-1 होने से इस हेतु निर्धारित दर से प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा का निर्धारण किया गया है। खसरा नम्बर 783 व 778 के मुआवजे का आंकलन समान डी.एल.सी. दर 204480/- से किया गया है। राजपैरोकार के उक्त कथन की पुष्टि अवार्ड के क्रम संख्या 61 जिस पर खसरा नम्बर 1095/782 की भूमि की किस्म गै.मु. आवासीय बताई गई है, जबकि प्रार्थी की भूमि की किस्म बारानी 1 है। अवार्ड के क्रम संख्या 60 पर प्रार्थी के खसरा नम्बर 783 एवं अवार्ड के क्रम संख्या 62 पर अंकित खसरा नम्बर 778 में समान डी.एल.सी. दर लगाई गई है। इसलिए राजपैरोकार द्वारा किया गया कथन उचित है।

5(5)— खसरा नम्बर 1095/782 के चिपती प्रार्थी की भूमि है और प्रार्थी की भूमि के आस पास आबादी बसी हुई है आस पास रहवासी कोलोनीया बसी हुई होने से प्रार्थी की भूमि का मूल्यांकन भी आबादी भूमि के रूप में मानकर अवार्ड पारित करने आदि को लेकर वकील प्रार्थी का कथन है। उक्त संबंध में संशोधित अवार्ड के क्रम संख्या 61 खसरा नम्बर 1095/782 की भूमि की किस्म गै.मु. आवासीय दर्ज है, जबकी हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 783 की भूमि की किस्म बारानी प्रथम है। हस्तगत प्रकरण में भूमि की किस्म अनुसार निर्धारित दर से मुआवजा का निर्धारण किया गया है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि आबादी की भूमि होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5(6)— हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में नियमानुसार कारक 1.25 से गुणित करते हुए फेक्टर सहित भूमि के मुआवजा का मूल्यांकन अवार्ड में किया जाकर भूमि के मुआवजे के साथ-साथ कारक का लाभ दिया गया है। शतप्रतिशत सोलिशियम राशि का भी लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त 3ए की अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तिथि से अवार्ड घोषणा की दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्रार्थी को 489 दिनों का अतिरिक्त प्रतिकर का भी अवार्ड में निर्धारण किया गया है।

6—उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 26.09.2016 को यथावत कायम रखा जाता है।

7—आदेश सुनाया।



(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलेक्टर
नागौर